छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक : 30.11.2018
निर्णय पारित करने का दिनांक : 07/01/2019
दांडिक अपील क्रमांक 668/2015

1. चंद्रशेखर साहू, पुत्र बुधेश्वरलाल साहू, आयु लगभग 23 वर्ष
2. बुधेश्वर लाल साहू, पुत्र स्व. श्री रामनाथ साहू, आयु लगभग 49 वर्ष
3. श्रीमती बसंती, पत्नी बुधेश्वर लाल, आयु लगभग 45 वर्ष, सभी निवासी ग्राम- बिहाझार, थाना- बागबाहरा, सिविल एवं राजस्व जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

---- अपीलार्थीगण

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बागबाहरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरदाता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण के लिए: श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता
उत्तरदाता/राज्य के लिए: श्रीमती मधुनिशा सिंह, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत

सी ए वी निर्णय

07/01/2019

1.

यह अपील विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), महासमुंद, जिला - महासमुंद (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 06/2014 में 02.06.2015 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के खिलाफ पेश की गई है, जिसमें अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और उन्हें 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतका जानकी बाई का विवाह अपीलार्थी क्रमांक-1 के साथ दिनांक 20.05.2013 को हुआ था, जब मृतका अपने ससुराल में रह रही थी, मृतका के पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज से असंतुष्ट होकर उसे प्रताड़ित

किया तथा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतका ने दिनांक 10.07.2013 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मर्ग सूचना दर्ज की गई। मृतका की मृत्यु समीक्षा प्र.पी-2 के तहत की गई तथा प्र.पी-7 के तहत शव परीक्षण भी किया गया, जिसमें बताया गया कि मृतका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की है। मर्ग जांच पूरी होने के बाद प्र.पी-15 दर्ज कर अपीलार्थीगण के विरुद्ध दहेज हत्या का अपराध दर्ज किया गया। शेष जांच पूरी कर ली गई और उसके बाद संबंधित न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र दाखिल किया गया।

3. अपीलार्थीगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और वैकल्पिक रूप से धारा 302 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। अपीलार्थीगण ने आरोपों से इनकार किया और विचारण चाहा। अभियोजन ने अपनी ओर से 12 साक्षियों का परीक्षण कराया । धारा 313 के तहत अपीलार्थीगण का परीक्षण किये जाने पर, उन्होंने अपने खिलाफ सभी सबूतों से इनकार किया और खुद को निर्दोष और झूठे आरोप में फंसाए जाने का अभिवाक किया। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया। सुनवाई पूरी होने पर, निर्णय दिया गया, जिसमें अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया गया और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दंडित किया गया, जबकि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे कोई ठोस आधार न होने पर भी अपीलार्थीगण को गलत रीति से दोषसिध्द किया गया है। यद्यपि साक्षी ईश्वरी (अ.सा.-1) मृतक की माता, सहदेव (अ.सा.-2) मृतक के पिता, लोकनाथ साहू (अ.सा.-3) मृतक के चाचा, कु. हेमा साहू (अ.सा.-4) मृतक की मित्र, परसराम साहू (अ.सा.-7) मृतक के चाचा के साक्ष्य हैं कि अपीलार्थीगण दिए गए दहेज से असंतुष्ट थे और यह टिप्पणी करते थे कि वह दहेज में कुछ अन्य सामान नहीं लाई है जो दहेज की मांग नहीं है। यदि साक्ष्य को वैसे ही मान लिया जाए तो भी अपीलार्थीगण द्वारा बिना किसी मांग के दिए गए कथन को कोई अपराध नहीं माना जा सकता। एक अन्य साक्षी साधना (अ.सा.-8) जिसने मांग

का ऐसा बयान दिया है, वह विश्वसनीय साक्षी नहीं है, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है कि मृतका की मृत्यु से ठीक पहले अपीलार्थीगण ने मृतका या उसके माता-पिता से दहेज में किसी वस्तु की मांग की थी। इसलिए अपीलार्थीगण के खिलाफ दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है और इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि अपीलार्थीगण को आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

5. राज्य के अधिवक्ता ने अपील में उठाए गए आधारों और इस संबंध में किए गए तर्को का विरोध किया है। यह तर्क किया है कि अभियोजन ने सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपना मामला साबित कर दिया है। अपीलार्थीगण और मृतका के रिश्तेदार जिन्होंने ऐसा बयान दिया है कि अपीलार्थीगण ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि वे विवाह में दिए गए दहेज से असंतुष्ट थे, स्पष्ट रूप से एक आरोप है। मांग का कथन, जिसे पूरा किया जाना अपेक्षित था। मृतका के विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु हो गई थी और दहेज की मांग के साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए यह दहेज हत्या का स्पष्ट मामला है। इसलिए आरोपित निर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपील खारिज की जाए।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अधीनस्त न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया है।

7. इस अपील में मुद्दा यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण के खिलाफ आरोपों को साबित किया है?

8. ईश्वरी (अ.सा.-1) मृतका जानकी की मां है। उसने कहा है कि विवाह के एक सप्ताह बाद जब मृतका उससे मिलने आई तो उसने बताया कि अपीलार्थीगण उसे यह कहकर परेशान कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर, फ्रिज, मोटर साइकिल आभूषण आदि नहीं दिए गए हैं और वे बार-बार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसके बाद मृतका का पति उसे वापस लेने आया और दो दिन बाद मृतका ने आत्महत्या कर ली। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता ने न तो विवाह से पहले और न ही विवाह के बाद कभी दहेज की मांग की थी और उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि जब अपीलार्थी क्रमांक-1

मृतका को लेने आया था तो उसने कोई मांग की थी, न ही उसने इस संबंध में कोई शर्त रखी थी।

9. सहदेव (अ.सा.-2) मृतका का पिता है। उसने भी ऐसा ही कहा है और प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अपीलार्थीगण की ओर से विवाह से पहले या बाद में दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। लोकनाथ (अ.सा.-3) ने मृतका द्वारा मायके आने पर किए गए सौदेबाजी के बारे में बताया है। उसने भी दहेज की मांग के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। कु. हेमा साहू (अ.सा.-4) ने भी इसी तरह का बयान दिया है। मृतका द्वारा उसे भी प्रताड़ित किए जाने के बारे में बताया गया है, लेकिन उसने भी दहेज की मांग के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। परसराम साहू (अ.सा.-7) मृतका का चाचा है, जिसने कोई अलग बयान नहीं दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. साधना (अ.सा.-8) सहदेव (अ.सा.-2) की पड़ोसी है, जिसने बताया है कि विवाह के बाद जब वह मृतका-जानकी से उसके मायके में मिली थी, तब उसने बताया था कि उसके पति और ससुराल वाले उसे मोटर साइकिल, फ्रिज आदि लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। उसके पति ने उसका मोबाइल रख लिया है और दहेज की मांग कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में उसे उसके पिछले कथन प्रदर्श डी-2 से सामना कराया गया, जिसकी तुलना में उसने मुख्य परीक्षा में दिए गए अपने कथन में सुधार किया है कि मृतका ने दहेज की मांग के बारे में कभी नहीं बताया था।

11. यह विवादित नहीं है कि मृतका की विवाह के सात साल के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, इसलिए, केवल यह सबूत आवश्यक है कि मृतका की मृत्यु से ठीक पहले दहेज की कोई मांग की गई थी।

12. विचारण न्यायालय के अभिलेख पर मौजूद संबंधित साक्षियों के सभी सबूतों की जांच करने के बाद, यह बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया है कि अपीलकर्ता दहेज में दी गई वस्तुओं से संतुष्ट नहीं थे और मृतका के सामने इस पर टिप्पणी करते थे, जिसके कारण वह परेशान महसूस करती थी। जैसा कि मृतका के माता-पिता ईश्वरी (अ.सा.-1) और सहदेव (अ.सा.-2) ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा विवाह से

पहले या बाद में दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। यहां तक कि इस बात के भी साक्ष्य हैं कि जब अपीलकर्ता संख्या 1 मृतका को लेने आया था, तो उसने दहेज के रूप में किसी भी वस्तु की मांग नहीं की थी, न ही उसने मृतका को उसके ससुराल ले जाने के लिए कोई शर्त रखी थी। इसलिए, ऊपर वर्णित साक्ष्यों के आधार पर अर्थात इस मामले में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि दहेज की मांग की गई थी और इस संबंध में अभियोजन पक्ष संदेह से परे कोई साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है।

13. इस प्रकार, विचारण न्यायालय पर मौजूद सभी सामग्रियों पर विचार करने के बाद, मैं इस राय पर हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख/34 के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अभिलेख पर उपस्थित सभी साक्ष्यों पर समुचित विचार करने के पश्चात, मैं इस मत पर हूँ कि यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है, तथा इसे स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थीगण को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 को जमानत पर मुक्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के प्रावधानों के अधीन उनके बंधपत्र छह महीने की अवधि के लिए प्रभावशील रहेंगे। अपीलार्थी क्रमांक-1 को जेल में बताया गया है, इसलिए, यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसे अविलम्ब मुक्त किया जाए।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।